

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति देवाट - तल्ली नारायण मन्दिर से माणभीड़ा - शारकोट - सेरामुमानी
मालीखेत - नागन्त्रलाखाल मोठमग

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला कैलाश

(iii) जिला वन प्रभाग कैलाश वन प्रभाग कैलाश

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 5.2731 हे

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिस्थिति: सिविल एवं लेयम वन भूमि एवं वन पैकायत भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यास

● वन का प्रकार डेन्स फोरिस्ट

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 3

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोई नहीं

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की संभावना

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी 2.50 कि०मी०

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता पिछेछ नहीं

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यास महत्वपूर्ण वन्यजीव नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यास और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यास और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाएं) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अल्पवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यास और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाएं) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरों में अलग किस्म के खतरों की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यास नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यास दें) नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : विस्तार हेतु प्रत्येक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगा

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्य अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य एवं न्यूनतम वन भूमि है

(i) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे : ~~नहीं~~

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है ~~(हां/नहीं)~~

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है ~~(हां/नहीं)~~

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति। ~~सिविल सेन सीजन वन क्षति~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा-संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ~~संलग्न है~~

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ~~हां~~

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं। ~~(हां/नहीं)~~

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ~~संलग्न है~~

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं। ~~(हां/नहीं)~~

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। ~~(हां/नहीं)~~

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान : ~~अल्मोड़ा~~

तारीख : 20-08-2015

~~प्रस्ताव स्वीकृति संस्कृति की जाती है~~

हस्ताक्षर :  (प्रजापति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।